रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 151] नई दिल्ली, सोमवार, जून 17, 1974/ज्येष्ठ 27, 1896

No. 151] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 17 1974/JYAISTHA 27, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 17th June 1974

G.S.R. 272(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (2) and (3) of section 3 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) the Central Government hereby amends the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 156/71, Central Excises, dated the 26th July, 1971, namely:—

In the Table appended to the said notification, in column (3)—

(a) against S. No. 1, for the words "Nineteen thousand", the words "Twenty-one thousand and seven hundred" shall be substituted;

(b) against S. No. 2, for the words "Fifty eight thousand", the words "Sixty-four thousand" shall be substituted

[No. 104/74-CE]

G. S. MAINGI, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, 17 जून, 1974

सा० का० नि० 27 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3 की उपधारा (2) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 156/71 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 26 जुलाई, 1971 में एतद्-द्वारा संशोधन करती है, अर्थात:—

उक्त अधिसूचना से संबंधी सारणी में स्तम्भ (3) में :—

(क) मद सं० 1 के सामने "उन्नीस हजार" शब्दों के स्थान पर "इक्कीस हजार सात सौ" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

(ख) मद सं० 2 के सामने "अट्ठावन हजार" शब्दों के स्थान पर "चौंसठ हजार" शब्द प्रतिस्थापित किए जायेंगे ।

[सं 104/74—के० उ० शु०]

जी० एस० मैंगी, अवर सचिव ।